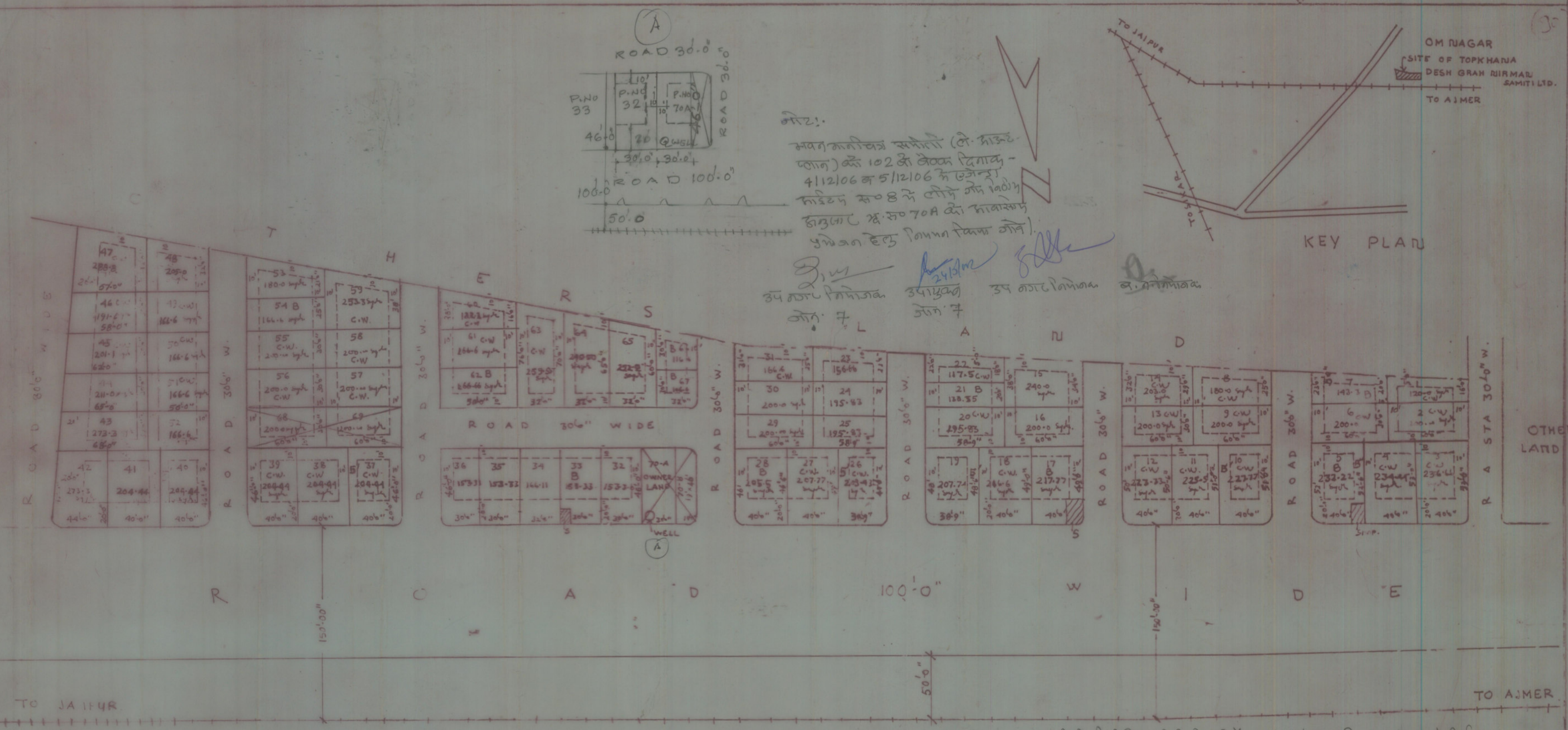
A
ROAD 30'-0"
ROAD 30'-0"
P.NO 33
P.NO 32
P.NO 70A
ROAD 100'-0"
OM NAGAR
SITE OF TOPKHANA DESH GRAH NIRMAN SAMITI LTD.
TO JAIPUR
TO AJMER
KEY PLAN
OTHERS LAND
OTHER LAND
ROAD 30'-0" WIDE
ROAD 30'-0" W.
OWNER LAND
WELL
ROAD 100'-0" WIDE
TO JAIPUR
TO AJMER

नोट:-
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 102 वीं बैठक दिनांक 4/12/06 व 5/12/06 के एजेन्डा आईटम सं० 8 में लिये गये निर्णय अनुसार भू.सं० 70A को आवासीय पुनर्गठन हेतु नियमन किया जावे।

24/3/07

उप नगर नियोजक
जोन 7

उपायुक्त
जोन 7

उप नगर नियोजक

व. नगर नियोजक

योजना की सीमा का राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर सत्यापन श्री तहसीलदार द्वारा किया गया।

योजना की भूमि के स्वामित्व की जाँच व सत्यापन श्री बी.एस. कन्दोई जोन प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया गया।

बी.पी.सी. II (सी.पी.सी.) की बैठक [illegible]/94 दिनांक 22.12.94 के अनुसरण में अनुमोदित मानचित्र

वरिष्ठ नगर नियोजक के पत्र क्रमांक :- 223 STP/CP/
दिनांक 29/9/94 प्रेषित मानचित्र की प्रति।

* कार्नर के भूखण्डों की त्रिज्या (RADIOUS) 15'-0" के अनुसार क्षेत्रफल में कटौती की जावेगी।

दिनांक 19/9/94 को किये गये सर्वे के अनुसार निर्मित, निर्माणाध
अथवा आंशिक रूप से निर्मित भूखण्डों को (B) द्वारा दिखाया गया है।

* सेट बैक का निर्धारण पूर्व अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये सेट बैक के अनुसार ही किया गया है।
* समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची के अनुसार 67 सदस्य हैं सूची अनुसार ही 67 भूखंडों का नियमन किया जाता है। (BPC II के निर्णयानुसार)।
* भूखंड संख्या 68 व 69 को नियमन नहीं किया गया है।

REFERENCE :-

		वर्ग गज	PERCANTA
1	RESIDENTIAL AREA	12996.16	43.41 %
2.	FACILITY. AREA	—	—
3.	ROAD AREA	16287.22	54.41 %
4.	UNAPPROVED AREA	650.44	2.18 %
	TOTAL SCHEME AREA =	29933.82	100 %

OM NAGAR.

LAY-OUT PLAN OF RESIDENTIAL
SCHEME OF TOPKHANA DESH
GRAH NIRMAN SAHKARI SAMITI LTD
JAIPUR. REGD. NO. 1601/L

(Scale : 1" = 50'-0")

बी.पी.सी. द्वितीय (सी.पी.सी.) की बैठक सं. 31/2000 दि. 10-3-2000 के निर्णयानुसार भू-खण्ड सं. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 70 ए एवं 32 से 42 की गहराई स्वीकृत योजना मानचित्र में 46 फीट दर्शाई है, जो मौके पर 60 फीट है। इसलिये योजना मानचित्र में 46 फीट के स्थान पर 60 फीट पढ़ा जावे, तथा मीटर गेज रेल्वे लाइन के मध्य से 150 फीट की दूरी रखी जावे।

7/4/2000

उप नगर नियोजक सी.पी.
ज० वि० प्रा०, जयपुर

(उपाध्यक्ष)